विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1901 - परिशिष्ट-"अ"

-:: बंदियों को प्रतिदिन दिए जाने वाले नाश्ते एवं दोनों समय के भोजन की साप्ताहिक तालिका ::-

दिन	समय	नाश्ता एवं सब्जी तथा दाल	रोटी अथवा चावल
सोमवार	प्रातः 7 से 8 नाश्ता	नमकीन आलू चना मसाला (चना 45 ग्राम + आलू 45 ग्राम)	• **विचाराधीन बंदी** को दोनों समय के भोजन के लिए 465 ग्राम गेहूँ के आटे की रोटी अथवा 525 ग्राम चावल । • **दण्डित बंदी** को दोनों समय के भोजन के लिए 585 ग्राम गेहूँ के आटे की रोटी अथवा 640 ग्राम चावल । • **प्रत्येक बंदी को** प्रातः एवं दोपहर **02 बार चाय** दी जाएगी । दोनों समय की चाय के लिए दूध 60 ग्राम, चाय पत्ती 04 ग्राम एवं शक्कर 20 ग्राम । • **मसाले की मात्रा** – प्रतिदिन प्रतिबंदी 20 ग्राम है । • बीड़ी के बदले गुड – सप्ताह के 03 दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार बीड़ी के समतुल्य मूल्य का गुड़े प्रातः के भोजन के साथ । **– विशेष आहार –** • **प्रत्येक रविवार** विशेष आहार तैयार करने के लिए निम्नलिखित वस्तुएँ – गेहूँ का आटा – 60 ग्राम । शक्कर – 60 ग्राम । वनस्पति घी – 30 ग्राम । उपरोक्त वस्तुओं के समतुल्य मूल्य में रवे का हलवा **अथवा** खीर । **– त्यौहारों पर विशेष आहार –** • होली, ईदुल फितर, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), दशहरा, स्वतंत्रता दिवस, (15 अगस्त), गुरुनानक जयंती, मिलादुनबी, क्रिसमस–डे, महावीर जयंती, दीपावली, रक्षाबंधन, गांधी जयंती, बुद्ध जयंती के अवसर पर सामान्य खुराक के अतिरिक्त रविवार के विशेष आहार के साथ **दण्डित बंदियों को 75 ग्राम** एवं **विचाराधीन बंदियों को 60 ग्राम वनस्पति घी की पूड़ी** उपरोक्त उल्लेखित 13 त्यौहारों पर दी जाएगी ।
	भोजन प्रातः 10 से 11	• उड़द दाल (58 ग्राम मात्रा में) • सब्जी आलू–छोले (नाश्ते के 45 ग्राम चने से) आलू 73 ग्राम	
	संध्या भोजन समय 5 से 6	• मूँग दाल (57 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 117 ग्राम	
मंगलवार	प्रातः 7 से 8 नाश्ता	नमकीन खिचड़ी (मूँग की दाल 10 ग्राम + चावल 90 ग्राम)	
	भोजन प्रातः 10 से 11	• मूँग दाल (58 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 118 ग्राम	
	संध्या भोजन समय 5 से 6	• बूँदी का रायता (57 ग्राम चना दाल के समतुल्य मूल्य का) (बेसन की मात्रा 30 ग्राम, दही 30 ग्राम) • सब्जी 117 ग्राम	
बुधवार	प्रातः 7 से 8 नाश्ता	नमकीन पोहा (115 ग्राम चावल के समतुल्य मूल्य का)	
	भोजन प्रातः 10 से 11	• चना दाल (58 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 118 ग्राम	
	संध्या भोजन समय 5 से 6	• तुअर दाल (57 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 117 ग्राम	
गुरूवार	प्रातः 7 से 8 नाश्ता	नमकीन दलिया गेहूँ का (दलिया 90 ग्राम)	
	भोजन प्रातः 10 से 11	• तुअर दाल (58 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 118 ग्राम	
	संध्या भोजन समय 5 से 6	• मसूर की छिलकायुक्त खड़ी दाल (57 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 117 ग्राम	

जेल उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
जेल मुख्यालय,भोपाल

दिन	समय	नाश्ता एवं सब्जी तथा दाल	रोटी अथवा चावल
शुक्रवार	प्रातः 7 से 8 नाश्ता	मठ्ठायुक्त मक्का दलिया (115 ग्राम मक्का के समतुल्य मूल्य का) (मक्का दलिया 90 ग्राम + मठ्ठा 30 ग्राम) **अथवा** आटा टिकिया ।	
	भोजन प्रातः 10 से 11	• मूँग दाल (58 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 118 ग्राम	
	संध्या भोजन समय 5 से 6	• तुअर दाल (57 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 117 ग्राम	
शनिवार	प्रातः 7 से 8 नाश्ता	मीठा दलिया गेहूँ का गुड़युक्त (दलिया 90+30ग्राम गुड़) **अथवा** दलिया गुड़ के समतुल्य मूल्य का रवे का नमकीन उपमा ।	
	भोजन प्रातः 10 से 11	• तुअर दाल (58 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 118 ग्राम	
	संध्या भोजन समय 5 से 6	• चना दाल (57 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 117 ग्राम	
रविवार	प्रातः 7 से 8 नाश्ता	नमकीन चावल (चावल 115 ग्राम)	
	भोजन प्रातः 10 से 11	• कड़ी पकौड़ा (58 ग्राम चना दाल के समतुल्य मूल्य का) (बेसन की मात्रा 30 ग्राम + दही 30 ग्राम) • सब्जी 118 ग्राम	
	संध्या भोजन समय 5 से 6	• उड़द दाल (57 ग्राम मात्रा में) • सब्जी 117 ग्राम	

जेल उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
जेल मुख्यालय, भोपाल

प्रदेश की जेलों में निरूद्ध दण्डित एवं विचाराधीन पुरूष एवं महिला बंदियों को जेल में मिलने वाली सुविधाएँ

क्र.	सुविधा का विवरण	-	सुविधा की पात्रता किसे होगी
1.	विधिक सहायता	–	**दण्डित** बंदियों को निर्णय के विरूद्ध **अपील** । **विचाराधीन** बंदियों को **निःशुल्क अभिभाषक** सुविधा ।
2.	पोस्टकार्ड	–	**दण्डित एवं विचाराधीन** बंदियों को मुलाकात न आने पर 15 दिन में एक बार एवं मुलाकात आने पर माह में 01 बार ।
3.	मुलाकात	–	**दण्डित** बंदियों को 15 दिन में दो बार एवं **विचाराधीन** बंदियों को परिजनों, निकट संबंधियों, मित्रों एवं अभिभाषक से सप्ताह में दो बार ।
4.	इनकमिंग दूरभाष सुविधा	–	**दण्डित** बंदियों को शर्तों के अधीन **सप्ताह में 02 बार** अधिकतम अवधि 05 मिनिट । 03 माह की अवधि से अधिक के **विचाराधीन** बंदियों को शर्तों के अधीन सप्ताह में 02 बार अधिकतम 05 मिनिट ।
5.	निःशुल्क उपचार एवं चिकित्सा	–	**दण्डित** एवं **विचाराधीन** बंदियों को ।
6.	कार्य करने वाले दण्डित एवं विचाराधीन बंदियों को पारिश्रमिक ।	–	कुशल कार्य हेतु रूपए 110/–, अकुशल कार्य हेतु रूपए 62/– एवं कृषि कार्य हेतु प्रतिदिन 62/– का भुगतान किया जाता है ।
7.	स्वच्छता	–	(see below)

सामग्री का नाम	दण्डित	विचाराधीन
नहाने का साबुन	150 ग्राम की बट्टी माह में एक बार ।	150 ग्राम की बट्टी माह में एक बार ।
कपड़े धाने का साबुन	90 ग्राम की बट्टी प्रति सप्ताह । (महिलाओं को 125 ग्राम प्रति सप्ताह)	90 ग्राम की बट्टी प्रति सप्ताह । (महिलाओं को 125 ग्राम प्रति सप्ताह)
वॉशिंग पाउडर	50 ग्राम प्रति सप्ताह।	50 ग्राम प्रति सप्ताह।
मंजन	01 ग्राम प्रति दिन ।	01 ग्राम प्रति दिन ।
जीभ साफ करने का टंगक्लीनर ।	प्रति 02 माह में एक नग ।	प्रति 02 माह में एक नग ।
शरीर में लगाने का तेल ।	प्रतिदिन 05 ग्राम सरसों का तेल । (महिलाओं को 30 ग्राम नारियल का तेल प्रति सप्ताह एवं वर्ष में एक बार कंघी)	प्रतिदिन 05 ग्राम सरसों का तेल । (महिलाओं को 30 ग्राम नारियल का तेल प्रति सप्ताह एवं वर्ष में एक बार कंघी)

क्र.	सुविधा का विवरण	-	सुविधा की पात्रता किसे होगी
8.	बंदी वस्त्र, चादर, कंबल, चप्पल एवं बर्तन ।	–	**दण्डित बंदियों को** प्रतिवर्ष 02 जोड़ी कुर्ता–पैजामा, 02 बनियान, 02 साफी, 02 चड्ढी, 02 टोपी, 02 चादर, 02 कंबल, सर्दियों में ऊनी जैकेट, 01 गोना पट्टी और चादर, 01 जोड़ी चप्पल, 01 कंघी एवं जेल प्रवेश करते समय 01 थाली, 02 कटोरी, 01 गिलास । **विचाराधीन बंदियों को** जेल प्रवेश करते समय 02 कंबल, 02 चादर, 01 गोना पट्टी, 01 थाली, 02 कटोरी एवं 01 गिलास ।
9.	समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्रिकाएं	–	**दण्डित एवं विचाराधीन** बंदियों को प्रत्येक 50 बंदियों पर 01 दैनिक समाचार पत्र, पुस्तकालय में पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की सुविधा ।
10.	शिक्षा	–	**दण्डित एवं विचाराधीन** बंदियों को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक की सुविधा, पत्राचार के माध्यम से ।
11.	पैरोल एवं आपात पैरोल	–	**दण्डित** बंदियों को नियमों एवं शर्तों के अधीन वर्ष में 03 बार 14–14 दिवस की अस्थाई छुट्टी (पैरोल) एवं विवाह अथवा मृत्यु के मामलों में 15–15 दिवस के आपातकालीन छुट्टी (पैरोल) ।

जेल उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
जेल मुख्यालय,भोपाल